

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या: 2484
उत्तर देने की तारीख: 10.12.2024

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

2484.श्री बिभु प्रसाद तराई:

श्री हंसमुखभाई सोमाभाई पटेल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं तथा हशिए पर पड़े समुदायों को समाज की मुख्यधारा में लाने में इस योजना की क्या भूमिका है; और
- (ख) उक्त योजना के अंतर्गत छात्रावासों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की पूर्ववर्ती योजना को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, जिसमें तीन घटक शामिल हैं, अर्थात् (i) 'आदर्श ग्राम', (ii) 'अनुसूचित जाति समुदायों की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जिला/राज्य स्तरीय परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता' और (iii) 'छात्रावास'।

आदर्श ग्राम घटक (पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना) का उद्देश्य और भूमिका अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में पर्याप्त अवसंरचना और अपेक्षित सेवाओं को सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार करना है।

(ख): वर्ष 2021-22 से, 5185 लाभार्थियों के लिए कुल 46 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं और पीएम-अजय योजना के छात्रावास घटक के तहत 126.30 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
